न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, जनपद कन्नौज।
उपस्थितः–हरि प्रसाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O.CODE–UP6489
UPKJ010001522013

सत्र परीक्षण वाद संख्या–219/2013
मुकदमा अपराध संख्या–202/2013
राज्य प्रति श्रीनिवास आदि
धारा–147, 148, 307/149, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

उत्तर प्रदेश राज्य **........अभियोजनपक्ष**

प्रति

1. **श्रीनिवास शर्मा पुत्र बेचे लाल शर्मा,**
2. **बब्लू शर्मा पुत्र चन्द प्रकाश शर्मा,**
3. **अनिल शर्मा पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा,**
4. **विकास शर्मा पुत्र श्रीनिवास शर्मा,**

निवासीगण–मोहल्ला गनेश चौधरी लकड़ी मंडी कस्बा व थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज। **.....अभियुक्तगण।**

एवं

UPKJ010000192013

सत्र परीक्षण वाद संख्या–269/2013

मुकदमा अपराध संख्या–206/2013

राज्य प्रति अनिल शर्मा

धारा–3/25 आयुध अधिनियम

थाना–छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

उत्तर प्रदेश राज्य **........अभियोजनपक्ष**

प्रति

अनिल शर्मा पुत्र रमेशचन्द्र शर्मा,

निवासी–मोहल्ला गणेश चौधरी लकड़ी मण्डी थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

....अभियुक्त

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.07.17 13:29:20 IST
Reason: CONVICTED AND FINE
Location: ADJ COURT NO 2 KANNAUJ

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण का विचारण अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा, बब्लू शर्मा, चन्दप्रकाश शर्मा** एवं **अनिल शर्मा** के विरूद्ध संस्थित सत्र परीक्षण वाद संख्या–219/2013 बावत मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 अर्न्तगत **धारा–147, 148, 307/149, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** एवं **सत्र परीक्षण वाद संख्या–269/2013** बाबत मुकदमा अपराध संख्या–206/2013 अन्तर्गत **धारा–3/25 आयुध अधिनियम** विरूद्ध अभियुक्त **अनिल शर्मा** थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नौज के समक्ष प्रेषित आरोप पत्रों पर प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त विचारण हेतु इस न्यायलाय को प्राप्त हुयी।

2. विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–219/2013 अपराध अर्न्तगत धारा–147, 148, 307/149, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–206/2013 अर्न्तगत धारा 3/25 आयुध अधिनियम एक ही घटना क्रम से सम्बन्धित हैं। अतः उक्त वाद पत्रावलियों को न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2026 को समेकित किये जाने के कारण समस्त साक्ष्य अभिलेखन **अग्रणी विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–219/2013 की पत्रावली में किया गया है**।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इसप्रकार है कि **सोनू शर्मा पुत्र स्व०सुरेशचन्द्र शर्मा** ने थाना छिबरामऊ में दिनांक 11.04.2013 को तहरीर/प्रार्थनापत्र **प्रदर्श क–1** इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 11.04.2013 को प्रार्थी का भाई अवनीश उर्फ टिंकू लकड़ी खरीदने ग्राम मड़ौसा फर्म रोड से जा रहा था। जैसे ही समय करीब 2.00 बजे दोपहर रशीद कोल्ड से आगे पुलिया के पास पहुंचा तो प्रार्थी के मुहल्ले के ही श्रीनिवास शर्मा पुत्र बेचे लाल शर्मा, बबलू शर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश शर्मा, अनिल शर्मा पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा, विकास शर्मा पुत्र श्रीनिवास शर्मा व एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से मोटर साइकिलों से आये और प्रार्थी की मोटर साइकिल के आगे लगाकर घेर लिया तथा सभी लोगों ने एक राय से कहा कि साले के पिता को तो हम लोगों ने मार दिया है, मुश्किल से हम लोग छूट कर आये हैं। इसको भी जान से मार दो। हम लोगों पर जो मुकदमा लगाया है, वह अपने आप खत्म हो जायेगा। इतने में श्रीनिवास शर्मा ने कट्टा निकालकर मेरे भाई अवनीश उर्फ टिंकू को जान से मार देने की नीयत से गोली मार दी जो मेरे भाई के कोख में लगी तथा विकास शर्मा ने भी कट्टे से प्रार्थी के भाई अवनीश शर्मा उर्फ टिंकू पर फायर किया जो उसके बगल से निकल गयी। मेरे भाई अवनीश उर्फ टिंकू के गोली लगने की खबर मुझे फोन पर स्कूल के निकलने वाले लड़के ने दी जिसपर मैं व मेरे घर वाले मौके पर पहुंचे तथा

पुलिस भी पहुंच आयी। प्रार्थी अपने भाई को लेकर छिबरामऊ सरकारी अस्पताल गया। हालत गम्भीर होने के कारण मेरे भाई को कन्नौज रिफर कर दिया गया। जहां से भाई की स्थिति गम्भीर होने के कारण कानपुर रिफर कर दिया गया है। उपरोक्त श्रीनिवास शर्मा, विकास शर्मा, बबलू शर्मा, अनिल शर्मा ने प्रार्थी के पिता को घर में घुसकर मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचायी थी जिसमें उनकी मृत्यु हो गयी थी। उपरोक्त चारों मुल्जिमान कुछ दिन पूर्व हाईकोर्ट से जमानत पर छूटकर आये हैं। उपरोक्त लोगों से प्रार्थी को जान माल का सख्त खतरा है। प्रार्थी का भाई अवनीश शर्मा उर्फ टिंकू प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो जाने के मुकदमे में वादी है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें।

4. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर थाना छिबरामऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–3** मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 11.04.2013 समय 14.30 बजे **श्रीनिवास शर्मा, बबलू शर्मा, अनिल शर्मा, विकास शर्मा व एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध** दर्ज की गई जिसका खुलासा जी0 डी0 रपट नं0–34 दिनांकित–11.04.2013 समय 14.30 बजे **प्रदर्श क–4** में किया गया। तत्पश्चात वादी मुकदमा के भाई अवनीश शर्मा उर्फ टिंकू को आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया।

5. मजरूब अवनीश शर्मा उर्फ टिंकू के खून आलूद कपड़ों को पुलिस कब्जे में लेकर फर्द तैयार की गयी जो **प्रदर्श क–2** है। विवेचक द्वारा साक्षीगणों के बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर **नक्शा नजरी प्रदर्श क–9** व **बरामदगी नक्शा नजरी प्रदर्श क–6** तैयार की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा, बब्लू शर्मा, अनिल शर्मा एवं विकास शर्मा** के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र **प्रदर्श क–10** व अभियुक्त **अनिल शर्मा** के पास से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस दिनांक 16.04.2013 को बरामद किया गया जिसके आधार पर अभियुक्त **अनिल शर्मा** के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र **प्रदर्श क–7** न्यायालय प्रेषित किया गया। तत्पश्चात न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नौज द्वारा उक्त दोनों ही पत्रावलियों को सत्र सुपुर्द कर दिया गया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ए.डी.जी.सी.(दाण्डिक) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के प्रश्न पर सुनने के पश्चात दिनांक 29.03.2014 को अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4, जनपद कन्नौज द्वारा **सत्र**

परीक्षण वाद संख्या–219/2013 में **अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा, बबलू शर्मा अनिल शर्मा एवं विकास शर्मा** के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा–147, 148, 307/149, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं **सत्र परीक्षण वाद संख्या–269/2013** में **अभियुक्त अनिल शर्मा** के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगणों ने स्वयं के विरूद्व विरचित आरोपों से इंकार करते हुए विचारण की याचना की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के तौर पर साक्षी पी0 डब्लू0–1 अवनीश कुमार शर्मा, पी.डब्लू–2 सोनू शर्मा उर्फ अनुराग शर्मा, पी.डब्लू–3 सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल रामनरायन चौधरी, पी.डब्लू–4 डाक्टर रविन्द्र कुमार, पी.डब्लू–5 मोहम्मद असलम, पी.डब्लू–6 सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हवलदार सिंह, पी.डब्लू–7 निरीक्षक मो.आसिफ, पी.डब्लू–8 सेवानिवृत्त डाक्टर आर.डी. गौतम एवं पी.डब्लू–9 डाक्टर राजेश कुमार मौर्या को परीक्षित कराया गया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में विशेष सत्र परीक्षण वाद सं–219/2013 बनाम श्रीनिवास शर्मा आदि की पत्रावली में तहरीर **प्रदर्श क–1,** फर्द लेने कब्जे पुलिस खून आलूदा कपड़े मजरूब अवनीश शर्मा उर्फ टिंकू शर्मा **प्रदर्श क–2,** मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 506, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना छिबरामऊ की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–3**, जी.डी. संख्या–34 दिनांकित 11.04.2013 की कार्बन प्रति **प्रदर्श क–4**, मजरूब टिंकू उर्फ अवनीश की उपहति आख्या **प्रदर्श क–5**, नक्शा नजरी जहां पर पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया **प्रदर्श क–6,** आरोप पत्र संख्या–145/2013 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–206/2013 धारा–3/25 आयुध अधिनियम थाना छिबरामऊ **प्रदर्श क–7**, अभियोग चलाये जाने की स्वीकृति के बाबत जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा पारित आदेश **प्रदर्श क–8**, नक्शा नजरी जहां पर अभियुक्तगण द्वारा मजरूब टिंकू उर्फ अवनीश के विरूद्व अपराध कारित किया गया **प्रदर्श क–9,** आरोप पत्र संख्या–226/2013 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता **प्रदर्श क–10**, फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस **प्रदर्श क–11**, मुकदमा अपराध संख्या–206/2013 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–12**, जी.डी. संख्या–21 दिनांकित 16.04.2013 की कार्बन प्रति **प्रदर्श क–13**, मजरूब टिंकू उर्फ अवनीश की एक्सरे रिपोर्ट **प्रदर्श क–14** को

प्रस्तुत किया गया।

9. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 23.07.2025 को अंकित किया गया।

अभियुक्त श्रीनिवास द्वारा कहा गया है कि मैं निर्दोष हूॅं। मेरे विरूद्ध गलत बयान दिया है। रंजिश के कारण झूंठी गवाही दी गयी है।

अभियुक्त बबलू शर्मा द्वारा बताया गया कि सभी साक्षीगणों ने गलत बयान दिया। फर्जी विवेचना करके आरोप पत्र लगा दिया। रंजिशन झूंठी गवाही दी। मैं निर्दोष हूॅं।

अभियुक्त अनिल शर्मा द्वारा बताया गया कि सभी साक्षीगण ने रंजिशन गलत बयान दिया। मुकदमा रंजिश कायम हुआ था। फर्जी विवेचना करके आरोप पत्र लगा दिया। मेरी निशानदेही पर कोई वस्तु बरामद नहीं हुयी। बरामदगी फर्जी दिखायी गयी। मैं निर्दोष हूॅं। मैंने कोई अपराध नहीं किया।

अभियुक्त विकास शर्मा द्वारा बताया गया कि सभी साक्षीगणों ने गलत बयान दिया। फर्जी विवेचना करके आरोप पत्र लगा दिया। रंजिशन झूंठी गवाही दी। मैं निर्दोष हूॅं।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ए0 डी0 जी0 सी0 (दाण्डिक) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

11. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि **क्या दिनांक 11.04.2013 को समय लगभग 2:00 बजे दिन में थाना छिबरामऊ क्षेत्रान्तर्गत रशीद कोल्ड स्टोरेज के आगे पुलिया के पास अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा, बब्लू शर्मा, अनिल शर्मा एवं विकास शर्मा ने एक राय होकर अवैध हथियारों एवं बलवा करने हेतु घातक शस्त्रों से लैस होकर वादी मुकदमा के भाई अवनीश उर्फ टिंकू को घेरकर गाली गलौज करते हुये उसे जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया जिससे उसे गोली लगकर गम्भीर चोटें आयीं तथा जान से मारने की धमकी भी दी?**

तत्पश्चात दौरान विवेचना अभियुक्त अनिल शर्मा के कब्जे से दिनांक 16.04.2013 को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं एक खोखा कारतूस बरामद हुआ, जिसे रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेंस अथवा प्राधिकार अभियुक्त के पास था या नहीं?

12. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **मजरूब/चुटैहिल**

अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिंकू को बतौर **साक्षी पी0 डब्लू0–1** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0 डब्लू0–1 अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 11.04.2013 की बात है। उस दिन मैं लकड़ी की खरीददारी करने ग्राम भड़ौसा जा रहा था। मैं फर्रूखाबाद रोड से जब मैं दो बजे दिन रसीद कोल्ड स्टोरेज के आगे पुलिया के पास पहुंचा तो मेरे मोहल्ले के श्रीनिवास शर्मा, बब्लू शर्मा, अनिल शर्मा, विकास शर्मा तथा एक व्यक्ति अज्ञात मेरे पीछे से दो मोटर साइकिलों से आये और अपनी मोटर साइकिल को मेरी मोटर साइकिल को आगे से घेर लिया और सभी लोग कहने लगे कि इस साले के पिता को तो हम लोगों ने मार दिया, मुश्किल से हम लोग छूट कर आये हैं, इसको जान से मार दो तो हम लोगों पर लगा मुकदमा अपने आप खत्म हो जायेगा। **तभी श्रीनिवास शर्मा ने कट्टा निकाल कर जान से मारने की नियत से मेरे पेट में गोली मार दी जो मेरी कोख में लगी**। विकास शर्मा ने अपने कट्टे से फायर किया जो मेरे बगल से निकल गया। खबर मिलने पर मेरे भाई पुलिस के साथ में मौके पर आये थे। मुझे लेकर छिबरामऊ सरकारी अस्पताल गये। जहां से मुझे कन्नौज अस्पताल के लिये भेजा गया। कन्नौज के सरकारी अस्पताल में मेरी चोटों का डाक्टरी परीक्षण व एक्सरे हुआ था। मेरी गम्भीर हालत को देखते हुये मुझे कानपुर के लिये रिफर कर दिया गया था। दिनांक 08.12.2012 को श्रीनिवास शर्मा, विकास शर्मा, अनिल शर्मा, राम कुमार, अमित व रमेश ने मिलकर मेरे घर के अंदर प्रवेश करके मेरे पिता सुरेश चन्द्र शर्मा के साथ मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुंचायी थी जिसके कारण दिनांक 31.12.2012 को उनकी मृत्यु हो गयी थी। पिता की मृत्यु इलाज के दौरान हुई थी। पिता की हत्या के सम्बन्ध में मुकदमा मैंने थाना छिबरामऊ पर लिखाया था। पिता की हत्या के मुकदमे में मुल्जिमान हाईकोर्ट से जमानत पर छूट कर आये थे तब उन्होंने मेरे साथ यह घटना की थी।

साक्षी पी0 डब्लू0–1 से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि मेरे पिताजी की हत्या के मुकदमे का क्रास केस भी लिखा गया था जिसमें मैं, बबलू, अरूण एवं सुरेश चन्द्र शर्मा मुल्जिम है। दिनांक 08.12.2012 को श्रीनिवास, विकास, राम कुमार मेरे घर में नहीं घुसे थे बल्कि बाहर मारपीट की थी फिर कहा कि अमित और अनिल घर में घुसे थे। विकास, राम कुमार व श्रीनिवास घर में नहीं घुसे थे। मेरे पिता जी की हत्या में मुल्जिमान श्रीनिवास, अमित एवं विकास छूटकर आ गये थे। घटना वाले दिन मैं लकड़ी खरीदने मोटर साइकिल से अपने घर से 1.30 बजे निकला था। मैं लकड़ी के पैसे देने ग्राम

भड़ोसा के निवासी पप्पू को देने जा रहा था। मुल्जिमान मुझसे पीछे चल रहे थे। किसी मुल्जिम ने मुझे पीछे से गोली नहीं मारी थी। मुल्जिम ने मुझसे पांच कदम की दूरी पर गोरी मारी थी। गोली का बुलट अंदर जाकर बाहर निकाल गया। गोली सामने से मारी थी और पीछे निकल गयी। गोली लगने के कुछ देर बाद मैं जमीन पर गिर गया था। जमीन पर खून पड़ा हुआ था। मैं घटनास्थल पर लगभग दस मिनट तक पड़ा रहा। मुल्जिमान एक से डेढ़ मिनट तक मौके पर रूके रहे थे। गोली लगने के बाद मुल्जिमान मेरे पास नहीं आये। श्रीनिवास मेरे ऊपर दूसरा फायर नहीं किया था। **बब्लू व अनिल ने भी मेरे ऊपर फायर नहीं किया था। अज्ञात व्यक्ति ने भी मेरे ऊपर कोई फायर नहीं किया था**। पुलिस मौके पर पंद्रह मिनट में आ गयी थी। जहां मैं पड़ा था। पुलिस मुझे छिबरामऊ अस्पताल ले गयी। छिबरामऊ अस्पताल में मुझे 5–10 मिनट रोका गया। उसके बाद जिला अस्पताल कन्नौज आ गये। जिला अस्पताल कन्नौज में मेरे साथ मेरा साला अरूण व मोहल्ले के अन्य लोग तथा पुलिस आयी थी। मेरे साथ मेरा भाई सोनू नहीं आया था। जिला अस्पताल कन्नौज भी मेरा भाई सोनू नहीं आया था और न ही अस्पताल में मुझे मिला था बल्कि जहां पर मेरे गोली लगी थी। वहाँ पर सोनू मुझे मिला था। गोली लगने के 7–8 मिनट बाद सोनू आ गया था। सोनू को घटनास्थल से किसने फोन किया था, मुझे नहीं पता। पुलिस को किसने फोन किया, मैं नहीं बता सकता। मैंने किसी को फोन नहीं किया था। जिला अस्पताल में आधा–एक घंटा रूका था। जहां मेरा एक्सरा हुआ था। एक्सरे में कोई गोली नहीं पायी गयी थी। उसके बाद कानपुर के लिये रेफर कर दिया था। कानपुर में मैं चार दिन भर्ती रहा जहां पर पुलिस ने मेरा बयान लिया था। गोली मेरे बायीं कोख में लगी थी। कानपुर अस्पताल से इलाज कराने के बाद मैं घर नहीं गया बल्कि दिल्ली चला गया था। दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराया। घटना के 10–12 दिन बाद मैं घर पहुंचा। जहां पर घटना घटित हुयी थी, वह चलती रोड है। लोग निकल रहे थे एवं खेतों में भी आदमी काम कर रहे थे जो लोग निकल रहे थे वे मौके पर आ गये थे। मेरे अलावा पब्लिक पर कोई फायर नहीं हुआ था। मैं मोटर साइकिल पर बैठा ही था तभी मुझे गोली लगी। मैंने इस मुकदमे में किसी को गवाह नहीं बनाया। मेरे द्वारा पूर्व में लिखाये हुये मुकदमे में हलीम गवाह थे जो मेरे मोहल्ले के थे। मैंने हलीम के भाई पप्पू को भी गवाह नहीं बनाया।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–1/चुटैहिल अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू के बयान से यह सिद्ध हो जाता है कि उसके द्वारा अपने पिता सुरेश चन्द्र शर्मा की हत्या के मामले में लिखाये गये मामले का वादी मुकदमा है। यह भी साबित किया गया कि

उक्त मामले में अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा छूटकर आये थे। यह भी कहा गया कि उक्त मामले में श्रीनिवास एवं उसका बेटा विकास, अनिल, राम कुमार, अमित एवं रमेश मुल्जिम थे जिनके द्वारा वादी मुकदमा के पिता सुरेश चन्द्र शर्मा की मारपीट कर हत्या की गयी थी। उक्त मामला दिनांक 08.12.2012 का बताया गया जबकि सम्बन्धित दाण्डिक वाद घटना दिनांकित 11.04.2013 के बाबत है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता कि वादी मुकदमा एवं अभियुक्तगणों के बीच पूर्व से ही रंजिश विद्यमान थी।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा सोनू घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है अपितु उक्त साक्षी का साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की तरह है। ऐसीस्थिति में मामले के निस्तारण हेतु न्यायालय को एकमात्र साक्षी पी.डब्लू–1 के बयान पर मुख्य रूप से विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि घटना के अविलम्ब वादी मुकदमा सोनू द्वारा मौके पर पहुंचकर चुटैहिल अपने भाई अवनीश शर्मा को सरकारी अस्पताल छिबरामऊ ले जाया जाता है। उसके साथ वादी मुकदमा के मां, भाई एवं साला जाता है और उनके द्वारा चुटैहिल को जिला अस्पताल कन्नौज तत्पश्चात हैलट अस्पताल कानपुर नगर में भर्ती कराया जाता है। इस दौरान वादी मुकदमा का सम्पर्क चुटैहिल से नहीं हो पाता है।

साक्षी पी.डब्लू–1 अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में यह स्वीकार किया गया है कि इस घटना से पूर्व उसके द्वारा अभियुक्त श्रीनिवास, राम कुमार, विकास, अमित के विरूद्ध आदि क्रास केस लिखवाया गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीनिवास ने लिखायी थी। उक्त क्रास केस में मैं, बब्लू, अरूण एवं सुरेश चन्द्र शर्मा मुल्जिम थे।

साक्षी पी.डब्लू–1 अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में यह स्वीकार किया गया है कि श्रीनिवास शर्मा ने मेरे ऊपर दूसरा फायर नहीं किया। बब्लू, अनिल एवं अज्ञात व्यक्ति ने भी उसके ऊपर फायर नहीं किया। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त मामले में अभियुक्त बब्लू एवं अनिल की संलिप्तता संदिग्ध है। यह अवश्य है कि साक्षी पी.डब्लू–1 से अभियुक्त विकास शर्मा की संलिप्तता के सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी किन्तु मुख्य परीक्षा एवं वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर में यह उल्लिखित किया गया है कि श्रीनिवास शर्मा ने कट्टा निकालकर जान से मारने की नीयत से अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू के ऊपर फायर किया जो चुटैहिल के बायीं कोख में लगी तथा अभियुक्त विकास शर्मा जो कि अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा का पुत्र है, ने चुटैहिल

अवनीश कुमार उर्फ टिन्कू के ऊपर फायर किया जो उसके बगल से निकल गयी। इसप्रकार यह सिद्व हो जाता है कि घटनास्थल पर अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं उसके पुत्र विकास शर्मा की उपस्थिति एवं घटना में संलिप्तता निर्विवाद रूप से साबित है। मेडिकल रिपोर्ट में भी चुटैहिल अनिल शर्मा के पेट में ही दो चोटें दिखायी गयी है और दोनों चोटें अग्नेयास्त्र से आना बताया गया है। ऐसीस्थिति में यदि घटना में अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं उसके पुत्र विकास शर्मा के अतिरिक्त अन्य दो अभियुक्त शामिल होते तो निश्चित रूप से अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू को चोटें अवश्य आयी होती। ऐसा परिलक्षित होता है कि मामले में नामित शेष अभियुक्तगण अनिल शर्मा एवं बबलू शर्मा का नाम रंजिशन लिखा दिया गया है।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **वादी मुकदमा सोनू शर्मा उर्फ अनुराग शर्मा** को बतौर **साक्षी पी0 डब्लू0–2** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा सोनू शर्मा उर्फ अनुराग शर्मा** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि मेरे बड़े भाई अवनीश उर्फ टिंकू दिनांक 11.04.2013 को दोपहर दो बजे घर से अपनी मोटर साइकिल प्लेटिना से लकड़ी खरीदने ग्राम भड़ौसा जिला फर्रूखाबाद जा रहे थे। मेरे भाई अवनीश लकड़ी का व्यापार करते थे। जैसे ही मेरे भाई अवनीश जहॉनगंज रोड स्थित रसीद कोल्ड स्टोरेज के आगे पुलिया के पास पहुंचे ही थे। मेरे मोहल्ले के श्रीनिवास शर्मा, बब्लू शर्मा, अनिल शर्मा, विकास शर्मा व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात दो मोटर साइकिलों से पुलिया के पास मेरे भाई की मोटर साइकिल के आगे लगाकर रोक लिया। भाई से पुराने मुकदमे में सुलहनामा करने की बात कहीं तो मेरे भाई ने समझौता करने से इन्कार किया। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी फिर **श्रीनिवास ने कट्टा निकालकर मारने की नियत से फायर किया। यह फायर मेरे भाई की कोख में लगा था। विकास शर्मा ने भी फायर किया था जो मेरे भाई को नहीं लगा था पास से निकल गया था।** गोली लगने के बाद मेरा भाई घायल अवस्था में वहीं घटनास्थल पर पड़ा था। मुझे घटना की सूचना वहॉं से गुजर रहे स्कूली बच्चों ने फोन से दी थी। सूचना पर मैं व मेरे घर वाले घटनास्थल पर पहुंचे थे और काफी भीड़ थी। मेरे पहुंचने से पहले पुलिस मौके पर पहुंच गयी थी। उसके बाद मैं अपने घायल भाई को लेकर सरकारी अस्पताल छिबरामऊ पहुंचा था। वहॉं से मेरे भाई को कन्नौज के लिये रिफर कर दिया गया। जब मैं कन्नौज अस्पताल से लौटा तब मैंने थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी। तहरीर मैंने अपने भाई अवनीश के बताने के आधार पर मोहल्ले के बदरू से लिखाई थी। तहरीर पढ़ने के बाद मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर किये

थे। गवाह ने X स्थान पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जो पत्रावली पर कागज संख्या–4ए/2 है जिसपर **प्रदर्श क–1** डाला गया। घटना के सम्बन्ध में दरोगाजी ने मुझसे पूंछतांछ की थी। घटनास्थल पर दरोगाजी को मैं साथ ले गया था। उन्होंने घटनास्थल देखा व नक्शा नजरी मेरी निशानदेही पर बनाया था। दरोगाजी ने मेरे सामने अवनीश के खून लगे कपड़े सील करके लिखा पढ़ी की थी। लिखा पढ़ी मुझे पढ़कर सुनवाई थी। तब मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर किये थे। मेरे अलावा फर्द पर राजेश कुमार व दीपू चौबे के दस्तख्त कराये थे। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–9ए फर्द पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिसपर **प्रदर्श क–2** डाला गया। मेरा भाई कन्नौज जिला अस्पताल में हालत गम्भीर होने के कारण वहाँ से कानपुर हैलेट में रिफर किया गया। जहां मेरे भाई का इलाज हुआ था।

साक्षी **पी०डब्लू०–2** से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें साक्षी पी०डब्लू०–2 ने कथन किया कि अवनीश उर्फ टिन्कू जिस मामले में वादी थी, उस मामले में श्रीनिवास मुल्जिम थे। मुझे नहीं पता कि श्रीनिवास की तरफ से भी टिन्कू के खिलाफ कोई मुकदमा लिखाया था या नहीं। टिन्कू के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इस घटना से पहले रमेश आदि ने मेरे पिता के साथ मारपीट की थी। मेरे पिता के साथ जब मारपीट की गयी थी तब मैं मौके पर नहीं था। मुझे नहीं मालूम की मेरे पिता की हत्या के मामले में मेरे भाई टिन्कू ने श्रीनिवास आदि के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था। मुझे यह भी नहीं मालूम दिनांक 18.12.2012 को श्रीनिवास ने मेरे व मेरे भाई टिन्कू आदि के विरूद्ध कोई क्रास केस लिखवाया हो। मुझे यह भी नहीं मालूम कि पिताजी की हत्या के मुकदमे में श्रीनिवास आदि की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी थी। जब टिन्कू के साथ घटना घटी तब मैं उसके साथ नहीं था। घटनास्थल पर पहुंचकर अपने भाई के शरीर पर गोली लगा घाव नहीं देखा था और मौके पर भी छर्रा व खोखा कारतूस नहीं देखा था। जमीन पर खून पड़ा था। आस पास खेतों पर काम करने वाले व राहगीर मौजूद थे। घटनास्थल पर भाई के अलावा अन्य कोई गवाह मौके पर नहीं था। मेरे द्वारा दी गयी तहरीर में भी किसी गवाह का नाम नहीं लिखाया गया है। पप्पू उर्फ असलम का मकान मेरे मकान से 130–140 फीट दूर होगा। मैंने दरोगाजी को नहीं बताया था कि पप्पू उर्फ असलम ने घटना देखी थी। घटना के दूसरे दिन मैं दरोगाजी के साथ घटनास्थल पर जाकर नक्शा नजरी बनवाया था। जहां खून पड़ा था। वह स्थान दरोगाजी को दिखाया था। मेरे सामने दरोगाजी खून लगी मिट्टी को खरोंच कर नहीं ले गये थे। अपने घायल भाई का छिबरामऊ अस्पताल में डाक्टरी मुआइना कराया था।

छिबरामऊ अस्पताल मैं अपने भाई को लेकर करीब 2.35 या 2.40 बजे पहुंच गया था। मैंने अपने भाई के शरीर पर घाव देखा था। डाक्टर ने कहा था गोली अंदर है। मेरा भाई जिला अस्पताल कन्नौज से रिफर होकर हैलट अस्पताल कानपुर नगर के लिये गया था। मैं अपने घायल भाई को लेकर कानपुर नगर नहीं गया था बल्कि मेरी मां, मेरा भाई एवं मेरा साला भर्ती कराने ले गया था। श्रीनिवास के सगे भतीजे बबलू शर्मा को मैंने मुल्जिम बनाया है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता की हत्या में बब्लू शर्मा मुल्जिम थे या नहीं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि श्रीनिवास के जेल जाने के बाद उनकी दुकान का काम बब्लू शर्मा देखते थे या नहीं।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–2 सोनू शर्मा उर्फ अनुराग शर्मा का साक्ष्य मात्र अनुश्रुत साक्ष्य की तरह है। उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि घटना के विषय में जैसा उसके भाई चुटैहिल अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू द्वारा बताया गया। उसी के अनुसार उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। यह भी कहा गया कि घटना की सूचना उसे स्कूली बच्चों ने जरिये फोन पर दी थी किन्तु किस बच्चे ने उसे सूचना दी, इसका उल्लेख उसके द्वारा न तो तहरीर में किया है न ही न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में। यह अवश्य है कि घटना कारित होने से अतिशीघ्र साक्षी पी.डब्लू–2 का मौके पर पहुंचना एवं अपने भाई को इलाज के लिये सरकारी अस्पताल छिबरामऊ ले जाना, घटना को असंदिग्ध बनाता है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त बब्लू शर्मा के विषय में उसके द्वारा बताया गया कि मुझे नहीं मालूम कि बब्लू शर्मा मेरे पिता की हत्या में मुल्जिम थे। ऐसा परिलक्षित होता है कि अभियुक्त बब्लू शर्मा का नाम वादी मुकदमा के भाई चुटैहिल अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू द्वारा रंजिशन बता दिया गया है जिसके आधार पर मामले में उसे अभियुक्त की श्रेणी में रखा गया है। यदि वास्तव में बब्लू शर्मा की संलिप्तता उक्त मामले में होती तो निश्चित रूप से चुटैहिल अवनीश शर्मा को दो चोटों के अतिरिक्त भी चोटें आयी होती। ऐसीस्थिति में उक्त मामले में अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा एवं उसके पुत्र विकास शर्मा के अतिरिक्त नामित अभियुक्तगण बब्लू शर्मा एवं अनिल शर्मा की संलिप्तता संदिग्ध हो जाती है।

14. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल रामनरायन चौधरी** को बतौर **साक्षी पी0 डब्लू0–3** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0 डब्लू0–3 सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल राम नरायन चौधरी** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि मैं दिनांक 11.04.2013 को कोतवाली छिबरामऊ पर बहैसियत कांस्टेबल कर्लक तैनात था।

उस दिन सोनू शर्मा पुत्र सुरेश चन्द्र शर्मा, निवासी मोहल्ला गनेश चौधरी लकड़ी मण्डी छिबरामऊ जनपद कन्नौज एक तहरीरी प्रार्थनापत्र हिन्दी व दस्तख्ती खुद लेकर आया था। उसी के आधार पर मैंने उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 धारा–147, 148, 149, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता बनाम श्रीनिवास शर्मा, बब्लू शर्मा, अनिल शर्मा व विकास शर्मा व अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–3** डाला गया। जिसका खुलासा मैंने उसी दिन रपट संख्या–34 समय 14.30 बजे मूल जी.डी. के साथ एक ही प्रासेस के साथ कार्बन लगाकर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या–6ए मौजूद है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

साक्षी पी०डब्लू०–3 से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमे साक्षी ने कथन किया कि असल जी.डी. आज मेरे सामने नहीं है। प्रदर्श क–4 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मजरूब थाने पर नहीं आया था। मजरूबी चिट्ठी सर्वेश को दी गयी थी। इस मुकदमे में भी एफ.आई.आर. लिखने से पहले मजरूबी चिट्ठी देकर सिपाही को रवाना किया गया था। मैंने मजरूब को नहीं देखा था, इसलिये नहीं बता सकता कि उसकी हालत गम्भीर थी या नहीं। मजरूबी चिट्ठी छिबरामऊ अस्पताल के लिये भेजी थी।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–3 का साक्ष्य मात्र औपचारिक साक्ष्य की तरह है। इसके द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जी.डी. कायमी को अपने साक्ष्य से साबित किया है। इस साक्षी के बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के समय चुटैहिल थाने नहीं आया था अपितु वादी मुकदमा सोनू द्वारा बताये जाने के अनुसार मजरूबी चिट्ठी बनाकर चुटैहिल की चिकित्सीय परीक्षण हेतु सरकारी अस्पताल छिबरामऊ भेजा गया।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **डाक्टर रविन्द्र कुमार** को बतौर **साक्षी पी0 डब्लू0–4** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0 डब्लू0–4 डाक्टर रविन्द्र कुमार** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 11.04.2013 समय 4.20 पी.एम. पर मैं EMO के पद पर संयुक्त जिला चिकित्सालय कन्नौज में तैनात था। उसी समय मजरूब टिन्कू उर्फ अवनीश पुत्र स्व० सुरेश चन्द्र शर्मा को कांस्टेबल 467 सर्वेश कुमार थाना छिबरामऊ से मय मजरूबी चिट्ठी आया था जिसका मैंने डाक्टरी परीक्षण उसी दिन 4.20 पी.एम. पर किया था तथा मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें

पायी गयीं–

चोट संख्या–1

एक गोली लगा हुआ घाव लेफ्ट साइड पेट पर मौजूद था जिसका आकार 2 से.मी.X 2 से.मी. था। चोट के चारों तरफ 5 से.मी. X 3 से.मी. के आकार का कालापन था जोकि नाभि से 9 से.मी. दूरी पर था जिसको एक्सरे की सलाह दी गयी और जमा हुआ खून पाया गया। चोट की गहरायी नापी नहीं जा सकी।

चोट संख्या–2

फटा हुआ घाव 1.5 से.मी. X 1 से.मी. जो चोट संख्या–1 से 1 से.मी. Laterally Bleeding Present जिसको अल्ट्रासाउण्ड के लिये लिखा गया।

मेरी राय में **चोट संख्या–1 अग्नेयास्त्र से आना सम्भव है** और **चोट संख्या–2 सख्त कुन्दालय से आ सकती है। दोनों चोटें ताजा थी**।

चोट संख्या–1 को एक्सरे के लिये व चोट संख्या–2 को अल्ट्रासाउण्ड के लिये सलाह दी गयी थी। मैंने बरवख्त मुआइना मजरूब का डाक्टरी रिपोर्ट मजरूबी चिठ्ठी की पुश्त पर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी तथा मजरूब का निशानी अंगूठा लगवाकर प्रमाणित किया था। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–11 ए मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी गवाह ने पुष्टि की जिसपर **प्रदर्श क–5** डाला गया। मजरूब के शरीर पर आयी चोटें दिनांक 11.04.2013 को दिन में दो बजे आना सम्भव है। **चोट संख्या–1 से मृत्यु हो सकती है या नहीं मैं नहीं बता सकता।**

साक्षी पी०डब्लू०–4 से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि **मजरूब जब मेरे पास आया था तब वह सामान्य स्थिति में था।** मजरूब छिबरामऊ सरकारी अस्पताल से मेरे यहाँ आया था। चोट संख्या–1 नजदीक से पहुंचायी गयी होगी क्योंकि घाव के चारों ओर कालिमा थी। ये कालिमा 1.5–2 फीट की दूरी से फायर किया जाये तो ऐसी चोट आ सकती है। मैंने एक्सरे के लिये इसलिये राय दी थी कि घाव में कोई छर्रा या बुलट हो तो आ जायेगा। मैंने इस घाव की गहराई इसलिये नहीं नापी थी कि कहीं कोई छर्रा या बुलट अंदर न चला जाये। मैंने मजरूब की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट नहीं बनायी थी। चोट संख्या–1 में छर्रा या बुलट नहीं पाया गया। यदि चोट में कोई छर्रा नहीं पाया जाता है तो आंतरिक अंग में कोई क्षति नहीं होती है तो यह चोट साधारण प्रकृति की है। चोट संख्या–2 लाठी जैसे कुन्दालय से आ सकती है। इस चोट की अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट मुझे नहीं मिली थी। चोट संख्या–2 में कोई हड्डी टूटी नहीं पायी गयी और आंतरिक अंग में कोई क्षति नहीं है। अतः यह चोट साधारण प्रकृति की है। मजरूब के शरीर में गोली

निकलने का कोई घाव नहीं पाया गया।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–4 द्वारा मेडिकल प्रपत्र प्रदर्श क–5 को साबित किया गया है जिसके परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि जिला चिकित्सालय जनपद कन्नौज के सम्बन्धित चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू–4 द्वारा मजरूब के शरीर पर पायी गयी चोट संख्या–1 को अग्नेयास्त्र से पहुंचाया जाना अंकित किया गया है तथा चोट संख्या–2 को किसी ठोस कुन्दालय से आना बताया गया है। चोट संख्या–1 की प्रकृति को ध्यान रखकर उसे एक्सरे की सलाह दी गयी। पत्रावली पर दाखिल एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–8 में किसी प्रकार का फ्रैक्चर का आना नहीं पाया गया। इसी आधार पर साक्षी **पी.डब्लू–4 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में मजरूब को आयी चोटों को साधारण प्रकृति का बताया गया है**।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **मो०असलम** को बतौर **साक्षी पी0 डब्लू0–5** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0 डब्लू0–5 मो० असलम** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि मैं दिनांक 11.04.2013 को अपने खेतों पर मजदूरों से काम करा रहा था। मेरा खेत रसीद कोल्ड स्टोरेज की पुलिया के पास जहॉनगंज रोड पर है। समय लगभग दो बजे मेरे मोहल्ले के टिंकू उर्फ अवनीश कुमार शर्मा मोटर साइकिल से जहानगंज की तरफ जा रहे थे। पीछे से श्रीनिवास शर्मा, विकास शर्मा, अनिल शर्मा, बब्लू व एक व्यक्ति जिसको मैं पहचान नहीं पाया था। सभी लोग मोटर साइकिलों से टिंकू उर्फ अवनीश के पीछे से आ रहे थे। तभी मुल्जिमानों ने टिंकू उर्फ अवनीश को रसीद कोल्ड स्टोरेज की पुलिया के पास मोटर साइकिले लगाकर आगे से घेर लिया और कहा कि अपने पिता की हत्या के केस में समझौता कर लो तो अवनीश ने सुलह करने से मना कर दिया। **इसपर अभियुक्त श्रीनिवास ने कट्टा निकालकर टिंकू उर्फ अवनीश के पेट में गोली मार दी और विकास ने भी अपने हाथ में लिये कट्टे से अवनीश पर फायर किया जो मिस हो गया।** मैं व तमाम लोग मौके पर पहुंचे। टिंकू उर्फ अवनीश घायल अवस्था में सड़क पर पड़े थे। फिर मैंने अवनीश के भाई सोनू को फोन से घटना की जानकारी दी। मौके पर सोनू व उसके घर वाले पहुंचे व पुलिस भी आ गयी थी। पुलिस वाले व अवनीश के घर वाले घायल अवनीश को लेकर सरकारी अस्पताल लेकर गये थे। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था।

साक्षी पी०डब्लू०–5 से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमे साक्षी ने कथन किया कि मेरा नाम पप्पू उर्फ असलम है। हलीम मेरा सगा भाई है।

अवनीश व श्रीनिवास ने पहले से कोई रंजिश नहीं थी अपितु शादी में विवाद हुआ था। शादी के बाद अवनीश के घर में मारपीट हुयी थी जिसमें अवनीश के पिता मारे गये थे। उक्त मामले में मेरा भाई हलीम गवाह था। मेरा नाम एफ.आई.आर. में बतौर गवाह नहीं लिखाया गया है। मैं अपने घर से खेत के लिये साइकिल से अकेले ही डेढ़ बजे दिन में चला था और घटनास्थल पर 2.00 बजे पहुंच गया था। घटनास्थल पर 6–7 लोग मिले थे। मैं घटनास्थल पर आधा घंटा रूका था। आस पास मजदूर काम कर रहे थे। हमारे खेत में 4–5 मजदूर काम कर रहे थे। अवनीश 10–15 मिनट तक पड़ा रहा था। मैंने अपने मोबाइल से सोनू के मोबाइल पर सूचना दी थी और सोनू 10–15 मिनट में मौके पर आ गये थे। सोनू के आने के पांच मिनट पुलिस भी आ गयी थी। मैं अवनीश के साथ कहीं नहीं गया। घटना दूसरे दिन पुलिस ने मेरे घर आकर पूंछ तांछ किया था। मैंने घटनास्थल पर पहुंचकर अवनीश का गोली का घाव देखा था। यह गोली पेट में लगी थी। पेट में एक ही घाव था। घटना वाले दिन ही मेरी अवनीश से मुलाकत हुयी थी जब वह अस्पताल गये थे। मैंने घटना वाले दिन सोनू को नहीं बताया कि मैंने घटना देखी है बल्कि पुलिस को बताया था।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–5 पप्पू उर्फ मो० असलम द्वारा स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना कहा गया है। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि मैंने घटना के बाबत चुटैहिल अवनीश के भाई सोनू को फोन से सूचित किया था जबकि वादी मुकदमा सोनू द्वारा कहा गया कि उसे घटना के विषय में स्कूली बच्चों से जानकारी मिली थी। ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त साक्षी घटना कारित होने के पश्चात मौके पर मौजूद हुआ है किन्तु घटना कारित होते हुये उसके द्वारा नहीं देखा गया क्योंकि उसके द्वारा यह भी कहा गया कि उसके द्वारा बीच बचाव नहीं किया गया। ऐसीस्थिति में मामले के निस्तारण हेतु उक्त साक्षी का साक्ष्य विशेष महत्व नहीं रखता। पत्रावली में दाखिल नक्शा नजरी में उक्त साक्षी के खेत का उल्लेख घटनास्थल के आस पास नहीं किया गया है। ऐसीस्थिति में न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में उसके द्वारा यह कहा जाना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि उसके द्वारा घटनास्थल के पास मजदूरों से खेत पर काम कराया जा रहा था।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हवलदार सिंह** को बतौर **साक्षी पी0 डब्लू0–6** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0 डब्लू0–6 सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हवलदार सिंह** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 16.04.2013 को मैं उप निरीक्षक के पद पर थाना कोतवाली छिबरामऊ में तैनात था। उस दिन

मुकदमा अपराध संख्या–206/2013 धारा–3/25 आयुध अधिनियम थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज पंजीकृत होकर विवेचना मुझे प्राप्त हुयी थी। मैंने दिनांक 16.04.2013 को केस डायरी 1 में नकल चिक, नकल रपट, बयान चिक लेखक संजीव का अंकित कर, बयान अभियुक्त अनिल शर्मा दर्ज कर सी.डी. किता किया। दिनांक 17.04.2013 को सी.डी. 2 में बयान वादी एस.आई मो० आसिफ व ओमवीर सिंह, उदयवीर दीक्षित अंकित कर कांस्टेबल जयवीर की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी मेरे द्वारा तैयार की गयी। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज संख्या–7 ए पर मौजूद है जो मेरे लेख में है जिसपर **प्रदर्श क–6** डाला गया। तत्पश्चात समई साक्षी हेमराज एवं गणेश का बयान अंकित कर सी.डी. किता किया। दिनांक 17.04.2013 को ही सी.डी. 2 ए में अभियुक्त अनिल शर्मा के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या–45/2013 न्यायालय में प्रेषित किया। **आरोप पत्र पत्रावली पर कागज संख्या–3 ए** पर मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–7** डाला गया। दिनांक 02.05.2013 को एस.सी.डी. प्रथम में कार्यालय जिलाधिकारी कन्नौज के यहाँ से अभियोजन स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 को प्राप्त की जो पत्रावली पर कागज संख्या–8 ए पर मौजूद है जिसपर तत्कालीन डी.एम. कन्नौज के हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। अभियोजन स्वीकृति पर **प्रदर्श क–8** डाला गया।

साक्षी पी०डब्लू०–6 से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमे साक्षी ने कथन किया कि उक्त मामले की विवेचना मुझे मामला दर्ज होने के आधे घंटे के बाद प्राप्त हुयी थी। विवेचना के कागजात मुझे थाने से प्राप्त हुये थे। मैंने इस मुकदमे की विवेचना दिनांक 16.04.2013 को ही प्रारम्भ कर दी थी। मैं घटनास्थल पर कांस्टेबल उदयवीर के साथ दूसरे दिन गया था। विवेचना के दौरान मैंने घटनास्थल के आस पास किसी आम जनता के व्यक्ति का बयान अन्तर्गत धार–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता नहीं लिया था। मैंने अभियुक्त अनिल शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया था और न ही अनिल शर्मा के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया था। वादी मुकदमा उप निरीक्षक मो०आसिफ द्वारा मामला पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा से सम्बंधित माल तमंचा कारतूस माल खाने से प्राप्त हुआ था। मैंने दौरान विवेचना अभियुक्त के कब्जे से बरामद कथित तमंचा, खोखा एवं कारतूस को विधि विज्ञान प्रयोगशाला बैलस्टिक विशेषज्ञ की जांच हेतु नहीं भेजा था क्योंकि तमंचा एक अन्य मामला मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 से सम्बन्धित था जिसके विवेचक दूसरे थे। मैं यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त के पास से बरामद तमंचे व

खोखा कारतूस के विषय में मैंने विवेचक से यह नहीं पूंछा कि अभियुक्त के पास कथित तौर से बरामद तमंचा घटना में प्रयुक्त हुआ था अथवा नहीं। यह कहना सही है कि दिनांक 16.04.2013 को विवेचना प्राप्त होने के बाद दिनांक 17.04.2013 को समस्त विवेचना समाप्त करके आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया था। यह कहना सही है कि आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट कन्नौज से अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्राप्त की थी। अभियोजन स्वीकृति दिनांकित 30.05.2013 पत्रावली पर प्रदर्श क–8 के रूप में दाखिल है।

इसप्रकार **साक्षी पी.डब्लू–6 उप निरीक्षक हवलदार सिंह** के बयान से यह सिद्ध हो जाता है कि उसके द्वारा अभियुक्त अनिल शर्मा के पास से बरामद आयुध खोखा कारतूस व तमंचा के विषय में विवेचना मुकदमा पंजीकृत होने के दिनांक 16.04.2013 को ग्रहण की गयी थी। तदोपरान्त उसके द्वारा दिनांक 17.04.2013 को ही अभियुक्त अनिल शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित की गयी।

साक्षी पी.डब्लू–6 उप निरीक्षक हवलदार सिंह द्वारा यह स्वीकार किया गया कि दौरान विवेचना उसके द्वारा जनता के किसी गवाहान का बयान नहीं लिया गया। उसके द्वारा घटनास्थल के बाबत जहां पर अभियुक्त अनिल शर्मा के पास से नाजायज आयुध का बरामद होना कहा गया है, की नक्शा नजरी में ए स्थान पर अभियुक्त अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया जाना बताया गया है। नक्शा नजरी में ए स्थान को सड़क पुख्ता छिबरामऊ से जहानगंज बताया गया है अर्थात उक्त स्थान सार्वजनिक स्थल है तथा लोगों का निरंतर आना जाना कहा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि अभियुक्त अनिल शर्मा की गिरफ्तारी सार्वजनिक स्थान पर होने के बावजूद उक्त साक्षी पी.डब्लू–6 द्वारा किसी भी जनता के व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया गया।

साक्षी पी.डब्लू–6 उप निरीक्षक हवलदार सिंह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अभियुक्त अनिल शर्मा के पास से बरामद नाजायज आयुध को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु नहीं भेजा गया। ऐसीस्थिति में यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि दिनांक 11.04.2013 को घटना में प्रयुक्त हुये आयुध को ही अभियुक्त अनिल शर्मा के पास से बरामद किया गया हो।

18. वादी मुकदमा सोनू एवं साक्षी पी.डब्लू–1 चुटैहिल अवनीश कुमार उर्फ टिन्कू द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में यह स्वीकार किया गया कि दिनांक 11.04.2013 को अभियुक्त अनिल शर्मा द्वारा किसी प्रकार से किसी आयुध का

उपयोग घटना कारित में नहीं किया गया और यह भी कहा गया कि अभियुक्त अनिल शर्मा के पास कोई औजार नहीं था। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.04.2013 को घटना कारित होने के पश्चात दिनांक 16.04.2013 को अर्थात पांच दिन बाद अभियुक्त अनिल शर्मा के पास से घटना में प्रयुक्त हुये नाजायज आयुध का प्राप्त किया जाना घटना में अभियुक्त अनिल शर्मा की संलिप्तता को संदिग्ध बनाता है क्योंकि सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति घटना में प्रयुक्त हुये औजार को पांच दिनों तक अपने पास उसी हालत में नहीं रखेगा अपितु उसको छिपाने या नष्ट करने का प्रयास करेगा।

19. यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अनिल शर्मा के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दर्ज किये गये मामले में साक्षीगणों की श्रेणी में मात्र पुलिस कर्मचारी है।

इस सम्बन्ध में **Ram Jatan Vs State 1995(3) Crimes 58 All., State of Punjab Vs Jagga Singh, AIR 1998 SC 3113 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि है कि** The police party did not make efforts to join any public witnesses in the raiding party. Admittedly there is no evidence of any expert that the fire arms allegedly recovered from possession of the accused persons were tested in laboratory and were found fit for use. Benefit of doubt given to the accused.

Ajit Ram Ram Mehar Jaat v. State of U.P., 2016 (5) ALJ 637 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवधारित किया गया है कि No public witness was enjoined in the recovery. There is nothing in the evidence of P.W. which may suggest that he had failed to a arrange a public witness despite efforts made by him in this regard. The prosecution version that the alleged crime weapon was recovered on the appellant's pointing out does not appear to be worthy of credence and hence court does not consider it safe to sustain the conviction of the appellant under section 25 of the Arms Act only on the basis of the uncoroborated testimony of P.W.

Surjit Singh v. State of Punjab, 1995 CrLJ 3636, Kashmira Singh v. State of Punjab, (1999) 1 SCC 130 में माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा यह अवधारित किया गया है कि The prosecution is supported by two police officials and not by any independent witness, no other comment against the prosecution is otherwise offered. This comment is not of any value since the police party was on patrolling duty and they were not required to take along independent witness to support a recovery if and when made.

Sans Pal Singh v. State of Delhi, AIR 1999 SC 49 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि Where illicit arms recovered and independent witnesses were available but not associated and no explanation was given at the trial as to why they were not associated so it was held that conviction on the basis of two police officials alone cannot be maintained.

Laddan @Muzaffar Ali v. State of U.P., 2016 (93) ACC 154 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि There is no law that an accused cannot be convicted on the basis of the testimony to the police witnesses but the condition is this that they should be totally reliable witness. In the present case the police personnel who have been examined by the prosecution to prove its case are not the totally reliable witnesses. The accused appellant is not found guilty of the charge under section 25 Arms Act.

Karam Jeet Singh v. State of Punjab testimony police witnesses, AIR 2003 SC 1311 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि Direct testimony of police witness, no reason for them to falsely implicate accused, Hence non examination of public witness, not fatal for prosecution.

20. साक्षी पी.डब्लू–6 उप निरीक्षक हवलदार सिंह द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा अभियुक्त अनिल शर्मा के पास से बरामद आयुध को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया जिसका कोई भी कारण अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया।

Jarnail Singh v. State of Punjab, AIR 1999 SC 321, Mohinder Singh v. State of Punjab, AIR 1999 SC 211 में माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा यह अवधारित किया गया है कि Once it was found by the police officer that the mechanism was in order, it could be reasonably inferred that it was in working condition, therefore, even in absence of any evidence of an armourer or an expert of that type of evidence of a police officer who is trained in handling guns can be accepted.

Jaspal Singh Vs State of Punjab AIR 1999 SC 1548 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि In absence of any evidence that the gun which was recovered from the possession of accused was in working condition, conviction of accused is not sustainable.

21. साक्षी पी.डब्लू.–6 उप निरीक्षक हवलदार सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में यह भी स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा दिनांक 17.04.2013 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तदोपरान्त आयुध अधिनियम की धारा–39 के तहत जिला मजिस्ट्रेट कन्नौज से अभियोजन स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 को प्राप्त की गयी अर्थात उसके द्वारा अभियुक्त अनिल शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम को न्यायालय में प्रेषित किये जाने से पूर्व आयुध अधिनियम की धारा–39 के तहत जिला मजिस्ट्रेट कन्नौज से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्त पर विचार किया जाना न्यायोचित है–

Santosh Kumar Vs. State, AIR 2006 SC 3098 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि In the absence of proof of valid sanction for prosecuting, the accused under Section 39 of the Arms Act, the charge under section 25(1–B)(a) and (b) of the Arms Act would fall.

Rajan @ Kalia Rajan and others vs State of U.P. 2008 (61) ACC 729 (D.B.) Alld. में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि The defect of want of sanction at the time of submitting the charge sheet in respect of the offenses under section 3 of Arms Act cannot be cured by obtaining sanction **subsequently.**

Ashiq Ali Vs State of U.P. 2010 (5) ALJ 244 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि Sanction orders do

not indicate that recovered weapons were produced before the District Magistrate. It was mandatory for the District Magistrate to inspect the weapons and ammunition recovered by the police before according sanction for prosecution.

S. Mangi Naik Vs. State of A.P. 2002 Cr.L.J. 2892 (AP) में माननीय उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश द्वारा यह अवधारित किया गया है कि The previous sanction was obtained from the District magistrate but it was not marked as an exhibit. Prosecution was without proving the sanction order.

Madan Mohan Singh v. State of U.P. 1954 AIR SC 637, Hon'ble Supreme Court observed that the burden of proving that the requisite sanction has been obtained rests on the prosecution, and such burden includes proof that the sanctioning authority had given the sanction in reference to the facts on which the proposed prosecution was to be based; and these facts might appear on the face of the sanction or might be proved by extraneous evidence.

Vinod Kumar Shukla v. State of UP. 199 Cr.LJ 4507 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि It has been held by the Supreme Court that the condition precedent for reversal of conviction in appeal on the ground of want of proper sanction is that whether it has "occasioned a failure of justice". Section 465 cures an error or irregularity in any sanction for the prosecution unless that has occasioned failure of justice.

Rajan v. State of U.P. 2008 Cr.LJ (N.O.C.) 454 (All.) में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि Want of sanction –Defect of – Where there was no sanction at the time of submitting conviction of accused was liable to be set aside.

इसप्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभियुक्त अनिल शर्मा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम को संचालित किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त किये जाने के बाबत की गयी कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है।

22. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **मो0आसिफ** को

बतौर **साक्षी पी0 डब्लू0–7** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0 डब्लू0–7 उप निरीक्षक मोहम्मद आसिफ** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक–11.04.2013 को मैं कोतवाली छिबरामऊ में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता बनाम श्रीनिवास शर्मा, बबलू शर्मा, अनिल शर्मा, विकास शर्मा व एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। मैंने दिनांक 11.04.2013 को नकल चिक, नकल रपट कायमी, नकल मजरुब अवनीश शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक कांस्टेबल कर्लक 563 रामनरायन चौधरी के बयान अंकित कर सी.डी. किता किया। दिनांक–12.04.2013 को वादी सोनू शर्मा का बयान अंकित कर वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी पत्रावली में कागज सं. 7A पर मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। **नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–09** डाला गया। दिनांक– 16.04.2013 को मुखबिर की सूचना पर नामित अभियुक्त अनिल शर्मा को एक नाजायज तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया तथा उसका बयान अंकित कर न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया। दिनांक–21.04.2013 को शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी किन्तु दस्तयाब नहीं हुये। दिनांक–24.04.2013 को घटनास्थल के आस–पास मौजूद लोगों से घटना की जानकारी प्राप्त की तथा शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया गया। दिनांक–27.04.2013 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया गया किन्तु दस्तयाब नहीं हो सके। दिनांक 29.04.2013 को मजरूब अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू का बयान अंकित कर सी.डी. किता किया। दिनांक 07.05.2013 को वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। दिनांक–13.05.2013 को मजरूब की रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका उल्लेख सी.डी. में करते हुए डॉक्टर रवीन्द्र साहू का बयान अंकित कर सी.डी. किता किया। दिनांक–14.05.2013 को शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। तत्पश्चात घटना के चश्मदीद साक्षी मो.असलम खान का बयान अंकित कर संलग्न सी.डी. किया। दिनांक–27.05.2013 को अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा न्यायालय में हाजिर हुआ जिसका रोबकार हाजिरी प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर सी.डी. में उल्लेख किया। दिनांक– 09.06.2013 को अभियुक्त बबलू शर्मा और विकास शर्मा का रोबकार हाजिरी प्राप्त हुआ जिसका

अवलोकन कर सी.डी. किया। दिनांक–17.06.2013 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा, बबलू शर्मा, विकास शर्मा के बयान अंकित करने हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त किया जिसका उल्लेख सी.डी. में किया। दिनांक 30.06.2013 को सी.डी. में मुकदमे में नामित अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई किन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा, विकास शर्मा व बबलू शर्मा का जिला कारागार पहुँचकर बयान अंकित किया। तत्पश्चात सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा, बबलू शर्मा, विकास शर्मा व अनिल शर्मा के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता साबित होने पर आरोपपत्र संख्या 226/2013 दिनांक 30.06.2013 को न्यायालय में प्रेषित किया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। **आरोप पत्र पर प्रदर्श क–10** डाला गया। मैंने दिनांक–12.04.2013 को मजरूब अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू शर्मा के खून आलूदा कपड़े एक अदद लाल टी–सर्ट व हाफ सैन्डो सफेद बनियान जिस पर खून आलूद के अलावा फायर आर्म्स से जले थे, को कब्जे में लिए व फर्द बनाया। मेरे द्वारा बनाई गई फर्द पत्रावली में कागज सं. 10A पर मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर पूर्व से **प्रदर्श क–02** पड़ा है। दिनांक 16.04.2013 को मैं अपने हमराही कांस्टेबल ओमवीर सिंह व उदयवीर दीक्षित के साथ थाने की जी.डी. रपट नं. 15 समय 8.35 A.M. पर थाने से रवाना होकर वास्ते तफ्तीश मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित वांछित अभियुक्तों की पतारसी व सुराग रसी करते हुए जहानगंज रोड रसीद कोल्ड स्टोरेज के पास पहुँचा। जहाँ पर मुखबिर की सूचना पर मैंने सवारी के इंतजार में खड़े अभियुक्त अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हम पुलिस वालों ने अपनी आपस में जामा तलाशी ले देकर यह संतोष व्यक्त किया कि किसी के पास अपराध से संबंधित वस्तु नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान पूर्ण रूप से मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर पैट की दाहिनी फैट से बरामद हुआ जिसे खोलकर देखा गया तो उसकी नाल में एक कारतूस पीतल का फंसा हुआ था। सूंघकर देखा तो उसमें चले हुए बारूद की बू आ रही थी। अभियुक्त ने पूंछतांछ में बताया था कि मेरे भाई श्रीनिवास शर्मा ने जिस तमंचे से मजरूब अवनीश उर्फ टिन्कू शर्मा के ऊपर जान से मारने के नियत से फायर किया था, यह वही तमंचा है। घटना करने के बाद हम पांचो व्यक्ति जहानगंज

भाग गये थे। यह तमंचा मुझे छिपाने के लिए दिया गया था। तमंचा व कारतूस को एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया था तथा फर्द मौके पर बनाई थी। फर्द की एक प्रति अभियुक्त अनिल शर्मा को दी गयी थी। मैंने व मेरे हमराहियों ने फर्द पर हस्ताक्षर बनाये थे। मेरे द्वारा बनायी गयी फर्द पत्रावली में कागज सं. 4A/03 ता० 4A/04 पर मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क– 11** डाला गया। बरामद तमंचा आज न्यायालय में मौजूद है जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। **तमंचे पर वस्तु प्रदर्श 01**, **खोखे पर वस्तु प्रदर्श 02** व **सीलबंद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 03** डाला गया है। मैंने फर्द के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने मेरे बयान लिया था। फर्द दाखिला के आधार पर कांस्टेबल कर्लक 920 संजीव कुमार द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध सं 206/2013 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अनिल शर्मा के विरूद्ध अंकित की गयी थी। संजीव कुमार मेरे साथ तैनात रहे है, मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को जानता हूँ इसलिए उनके द्वारा अंकित की गई चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं. 4A/01 ता० 4A/02 पर मौजूद है। मैं कांस्टेबल कर्लक संजीव कुमार के लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क– 12** डाला गया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का खुलासा कांस्टेबल कर्लक संजीव कुमार द्वारा रपट नं. 21 समय 10.45 A.M. दिनांक–16.04.2013 पर जी.डी. पर किया गया था। जी.डी. की प्रमाणित फोटोप्रति पत्रावली में कागज सं. 6A पर मौजूद है जो संजीव कुमार के लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर **प्रदर्श क– 13** डाला गया।

साक्षी पी०डब्लू०–7 से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमे साक्षी ने कथन किया कि इस मुकदमे की घटना दिनांक 11.04.2013 को समय दोपहर लगभग 02.00 बजे की बतायी गयी थी। वादी सोनू शर्मा इस घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं था। उसे स्कूली लड़कों ने सूचना दी थी तब वह मौके पर पहुँचा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने किसी भी व्यक्ति को घटना का साक्षी नहीं बनाया था। वादी के साथ पुलिस थाना छिबरामऊ भी मौके पर पहुँच गयी थी। दौरान विवेचना मौके से मजरूब को थाना छिबरामऊ नहीं ले जाया गया था, जिला अस्पताल कन्नौज ले जाया गया था फिर कहा कि हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर हैलट अस्पताल रेफर करके भर्ती कराया गया था। जिला अस्पताल कन्नौज में मजरूब का एक्स–रे किया गया था। एक्स–रे प्लेट व रिपोर्ट दौरान विवेचना मुझे मिली थी। उस एक्स–रे प्लेट व रिपोर्ट में मजरूब के कोई छर्रा या बुलेट नहीं दिख

रहा था। रिपोर्ट में मजरूब के पेट का आंतरिक भाग क्षतिग्रस्त नहीं पाया गया था। मैंने मजरुब की कोई सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट (पूरक आख्या) अस्पताल से प्राप्त नहीं की थी। मैं जब घटनास्थल पर पहुँचा था तो न तो कोई खोखा कारतूस न जिंदा कारतूस और न कोई बुलेट न छर्रा और न ही कोई तमंचा मिला था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त श्रीनिवास द्वारा मजरूब अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू के तमंचे से फायर कर चोट पहुँचाना बताया गया था। श्रीनिवास ने दिनांक–27.05.2013 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। **मैंने श्रीनिवास के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड न्यायालय से नहीं मांगा था। अभियुक्त अनिल शर्मा द्वारा मजरूब पर फायर करना नहीं बताया गया था फिर भी मैंने तमंचे की बरामदगी अभियुक्त अनिल शर्मा से दर्शायी है। इस तमंचे की बरामदगी में जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया था जबकि बरामदगी पब्लिक प्लेस की थी। चोट पहुँचाने की घटना दिनांक– 11.04.2013 की थी और बरामदगी पाँच दिन बाद दिनांक–16.04.2013 की बतायी है। मैंने यह तमंचा और खोखा कारतूस जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भिजवाया।** यह कहना गलत है कि अभियुक्त अनिल शर्मा के कब्जे से कोई खोखा कारतूस व तमंचा बरामद न हुआ हो। यह भी कहना गलत है कि इस तमंचे व खोखा कारतूस से मजरूब को कोई चोट न पहुँचाई गयी हो, इसीलिए मैंने यह तमंचा और खोखा कारतूस जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला न भिजवाया हो। मैं घटना के दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुँचा था। मुझे वह मोटरसाइकिल जिस पर मजरूब घटना के समय जा रहा था वह मोटरसाइकिल मुझे देखने को नहीं मिली। मैंने मजरूब व वादी से मोटरसाइकिल के लिए नहीं पूंछा। मैंने यह भी नहीं पता लगाया कि मोटरसाइकिल पर कोई खून लगा था या नहीं। गोली लगते ही मजरुब गिर गया था। खून मौके पर नहीं पड़ा था और न मुझे मिला था। मुझे यह मालूम हो चुका था कि मजरुब छिबरामऊ सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु नहीं गया बल्कि सीधे जिला अस्पताल कन्नौज गया था। मजरुब के पास उसका मोबाइल घटना के समय था। उसने अपने मोबाइल से किन्ही भी व्यक्तियों या अपने घरवालों को घटना की सूचना नहीं दी थी। मैंने घटना के बाद या घटना के समय अभियुक्त श्रीनिवास द्वारा कोई दूसरा फायर मजरूब पर करना नहीं बताया गया था। दौरान विवेचना कानपुर जाकर हैलट जाकर मैंने मजरूब के कोई चिकित्सीय प्रपत्र प्राप्त नहीं किये। मजरुब न तो भर्ती रहा न आपरेशन न ही मैने उसका BHT प्राप्त किया। इस मुकदमे की घटना से पहले वादी के पिता सुरेशचन्द्र की हत्या हुई थी जिसमें श्रीनिवास, विकास आदि लोग मुल्जिम थे। **उस मुकदमे में श्रीनिवास, विकास व विकास के भाई रामकुमार मुल्जिम थे, जो जेल गए थे।** इनकी

जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकृत हुई थी और मुल्जिमान जेल से बाहर आ गये थे। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि अवनीश ने फर्जी घटना बनाई हो और डॉक्टर साहब से मिलकर फर्जी चोट लिखाई हो और झूंठा मुकदमा अभियुक्तगण के विरुद्ध कायम कराया हो। मुझे यह जानकारी नहीं है कि अवनीश के पिता की हत्या वाले मुकदमे में अभियुक्तगण श्रीनिवास, विकास, रामकुमार दोषमुक्त हो गये हो। **घटनास्थल का नक्शा मैंने वादी की निशानदेही पर बनाया था।** मुझे मालूम था की वादी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था फिर भी मैंने वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाया था। मैंने हेड मोहर्रिर रामनरायन चौधरी का बयान लिया था। उन्होंने बताया था की मजरूबी चिट्ठी सी.एच.सी. छिबरामऊ के लिए दी थी लेकिन मजरूब ने सी.एच.सी. छिबरामऊ में कोई भी डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया था। डॉक्टर रवीन्द्र कुमार का बयान मैंने जिला अस्पताल कन्नौज जाकर लिया था। उनसे मैंने चोट नं.02 के बारे में यह नहीं पूंछा कि ये चोट अग्नेयास्त्र से आ सकती है या नहीं। उन्होंने बताया कि यह चोट ब्लंट आब्जेक्ट से आ सकती है। मो. असलम प्रथम सूचना रिपोर्ट में गवाह नहीं था। मो. असलम का बयान मैंने घटना के बाद दिनांक– 14.05.2013 को जो घटना के करीब एक महीने बाद लिया गया था। मैंने नक्शा नजरी में मो. असलम का कहीं खेत नहीं दर्शाया और न ही गवाहन द्वारा घटना देखने का स्थान दर्शाया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इन्हीं असलम का सगा भाई पप्पू वादी के पिताजी की हत्या में गवाह था। मो. असलम के अलावा मुझे इस घटना का अन्य कोई गवाह नहीं मिला। मुकदमा वादी ने खून लगे कपड़े मुझे दिये थे। उन कपड़ों में छेद था। एक बनियान में छेद था और एक टी–शर्ट में छेद था। ये कपड़े मैंने जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजे थे। वे कपड़े आज मेरे सामने नहीं है। **यह खून लगे कपड़ों की फर्द मैंने थाने में बैठकर बनायी थी। गवाह दीपू चौबे व राजेश कुमार को मैंने नहीं बुलवाया था अपितु वे वादी के साथ थाना आए थे।**

<u>अभियुक्त अनिल शर्मा की तरफ से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि</u>–

दौरान विवेचना वादी मुकदमा की तहरीर का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया था जिससे स्पष्ठ था कि अनिल शर्मा द्वारा जान से मारने की नियत से कोई फायर नहीं किया गया। दौरान विवेचना मुल्जिमान दो बाइकों से थे लेकिन उन बाइकों का पता नहीं चल पाया। वादी व मुल्जिमानों के पुरानी रंजिश व मुकदमेबाजी चल रही थी। यह मुकदमा अनिल शर्मा के विरुद्ध पेश बंदी में लिखवाया और फिर उसके बाद

अनिल शर्मा की ओर से भी पेश बंदी में वादी मुकदमा के परिवारीजनों के विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया था। उसकी विवेचना मेरे द्वारा नहीं की गई थी। उसी थाने पर तैनाती होने के कारण मुझे जानकारी हुई थी। दौरान विवेचना टिन्कू उर्फ अवनीश को गोली लगने की बात जानकारी में आई थी। मेडिकल परीक्षण का अवलोकन करने से यह पता चल रहा था कि मजरुब टिन्कू उर्फ अवनीश एक Entry Wound व चोट नम्बर 02 Exit wound है। इस प्रकार टिन्कू उर्फ अवनीश को कुल एक ही चोट (Fire arm Injury) के रूप में आई थी। Radiologist की रिपोर्ट में मजरूब के शरीर के अंदर Radio opaque material नहीं पाया गया था न ही अंदरूनी अंगों में कोई चोट पाया जाना उल्लिखित किया गया। मजरूब के शरीर जो चोटें थी, वह अग्नेयास्त्र से आयी थी। **यह कहना सही है कि अनिल शर्मा के द्वारा फायर करने की बात वादी मुकदमा या मजरूब ने नहीं बताया था। किसी भी गवाह ने अनिल शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से कोई गाली दी या क्या गाली दी यह नहीं बताया।** नक्शा नजरी प्रदर्श क–09 में अभियुक्त अनिल शर्मा कहां उपस्थित है वह स्थान मेरे द्वारा नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि वह स्थान न तो वादी व मजरूब ने मुझे दिखाया न बताया। गवाहों ने घटना कहाँ से देखी यह बात वादी व मजरूब ने न तो बताई न दिखाई न मैंने नक्शा नजरी में दर्शायी।

इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू 7 उप निरीक्षक मो० आसिफ जिन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के दिन अर्थात 11.04.2013 को विवेचक नियुक्त किया गया है, के बयान से यह बात सिद्ध हो जाती है कि उक्त साक्षी को वादी मुकदमा व चुटैहिल साक्षी अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू द्वारा अपने बयान में अभियुक्त बबलू शर्मा एवं अनिल शर्मा द्वारा घटना कारित होना नहीं बताया था।

उक्त साक्षी पी.डब्लू–7 उप निरीक्षक मो० आसिफ द्वारा यह भी कहा गया है कि गवाहान द्वारा अपने बयान में अभियुक्त अनिल शर्मा की घटनास्थल पर उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया। यह भी कहा गया कि इस घटना से पूर्व दिनांक 08.12.2012 को वादी मुकदमा के पिता सुरेश चन्द्र शर्मा की अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा व उसके पुत्र विकास शर्मा से विवाद हुआ था जिसमें आयी हुयी चोटों से वादी मुकदमा के पिता सुरेश चन्द्र शर्मा की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। उक्त मामले में अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा व उसके पुत्र विकास शर्मा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से छूटकर आये थे और उनके द्वारा वादी मुकदमा के भाई अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू को घेरकर तमंचा से फायर कर चोटें पहुंचायी गयी। चूंकि अभियुक्त अनिल शर्मा एवं अभियुक्त बबलू शर्मा का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध अभियुक्तगण

श्रीनिवास शर्मा व उसके पुत्र विकास शर्मा से नहीं था। इसके बावजूद वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त की श्रेणी में बबलू शर्मा एवं अनिल शर्मा को नामित कर दिया गया।

साक्षी पी.डब्लू–7 उप निरीक्षक मो० आसिफ द्वारा अपने बयान में यह स्वीकार किया गया है कि वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था। इसके बावजूद वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल की नक्शा नजरी बनायी गयी।

यह भी कहा गया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी वादी मुकदमा व चुटैहिल द्वारा नहीं बताया गया था। इसके बावजूद मो०असलम का बयान लिया गया। साक्षी **मो० असलम का बयान सी.डी. क्रमांक 10** में अंकित किया गया है जिसमें यह बताया गया कि **मैं अपने खेतों पर मजदूरों से काम करा रहा था। मेरा भी खेत वहीं पास में है। घटना दिनांक 11.04.2013 दोपहर की है। मेरे मोहल्ले के रहने वाले टिन्कू उर्फ अवनीश कुमार शर्मा किसी काम से मोटर साइकिल जहानगंज जा रहे थे कि मेरे ही मोहल्ले के श्रीनिवास शर्मा, अनिल शर्मा, विकास शर्मा, बबलू शर्मा तथा एक अज्ञात व्यक्ति जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ, अवनीश शर्मा को घेर लिया। मैं वहीं पेड़ों के पास छिपकर बातें सुन रहा था। श्रीनिवास शर्मा पुराने मुकदमे को वापस लेने की बात कर रहा था किन्तु टिन्कू मना कर रहा था। इन्हीं लोगों ने टिन्कू के पिता की हत्या कर दी थी। श्रीनिवास ने तमंचा निकालकर फायर कर दिया जो टिन्कू के पेट में लग गया था तथा उसके लड़के विकास ने भी फायर कर दिया जिससे टिन्कू बाल–बाल बच गया। मौके पर काफी भीड़ लग गयी थी। पुलिस तथा टिन्कू का भाई सोनू मौके पर आ गये और टिन्कू को अस्पताल लेकर गये थे**।

यह अवश्य है कि उक्त साक्षी द्वारा साक्षी मो० असलम के खेत का उल्लेख नक्शा नजरी में नहीं किया गया है किन्तु उसके द्वारा सम्बन्धित विवेचक के समक्ष दिये गये बयान में घटनास्थल पर अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा एवं उसके पुत्र की उपस्थिति को साबित किया गया है और यह भी साबित किया गया है कि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा ही अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू को फायर करते हुये चोट पहुंचायी गयी है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली में दाखिल मेडिकल रिपोर्ट में दो चोटें ही सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा दर्शायी गयी है। **ऐसीस्थिति में घटनास्थल पर अभियुक्तगण बबलू शर्मा एवं अनिल शर्मा की उपस्थिति संदेहास्पद हो जाती है**।

23. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **सेवानिवृत्त डा.आर.डी. गौतम** को बतौर **साक्षी पी0 डब्लू0–8** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0 डब्लू0–8 सेवानिवृत्त डा.आर.डी.गौतम** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 11.04.2013 को मैं

संयुक्त जिला चिकित्सालय कन्नौज मे रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन अवनीश को डा०आर०के० साहू के द्वारा मजरूब अवनीश उम्र 26 वर्ष पुत्र सुरेश चन्द्र शर्मा को पेट और पेल्विस के एक्सरे के लिये मेरे पास रेफर किया गया था। मैंने उसका एक्सरे कराया था तथा एक्सरे देखकर मैंने रिपोर्ट तैयार की थी जो पत्रावली में कागज सं–14A पर मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इसकी मैं पुष्टि करता हूँ। मैंने एक्सरे को देखकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें पेट और पेल्विस में कहीं फैक्चर नहीं पाया था। रोडियोलाजिस्ट रिपोर्ट पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। पत्रावली में मौजूद एक्सरे प्लेट को देखकर साक्षी ने कहा कि ये वही एक्सरे प्लेट है जो मेरे द्वारा तैयार करायी गयी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर **वस्तु प्रदर्श–04** डाला गया ।

बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें कथन किया गया है कि एक्सरे रिपोर्ट में मैंने मजरूब के शरीर में बुलेट या छर्रा होना नहीं लिखा है। यदि एक्सरे प्लेट में बुलट या छर्रा मुझे दिखायी पड़ता तो मैं रिपोर्ट में इसका उल्लेख अवश्य करता। एक्सरे रिपोर्ट में मेरे द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया कि मजरूब के पेट का कोई आंतरिक भाग क्षतिग्रस्त हुआ था या नहीं।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–8 आर.डी. गौतम द्वारा पत्रावली में दाखिल एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–14 व एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श 4 को अपने साक्ष्य से साबित किया गया है जिसके परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि इसमें चुटैहिल अवनीश के शरीर में (NAD) No Apparent Distress / No Acute Distress अर्थात स्पष्ट रूप से कोई परेशानी या गंभीर कष्ट नहीं है। उक्त साक्षी के बयान से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चुटैहिल अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू को आयी हुयी चोटें साधारण प्रकृति की थी। जैसाकि मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–5 के विषय में साक्षी पी.डब्लू–4 डाक्टर रविन्द्र कुमार स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में बताया गया कि चुटैहिल को आयी हुयी चोटें साधारण प्रकृति की थी।

24. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **डाक्टर राजेश कुमार मौर्या** को बतौर **साक्षी पी0 डब्लू0–9** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0 डब्लू0–9 डाक्टर राजेश कुमार मौर्या** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 11.04.2013 को मैं जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज कानपुर में सर्जरी विभाग में एसोसियेट के पद पर तैनात था। उस दिन मजरूब अवनीश जिसकी उम्र 28 वर्ष थी जो सर्जरी इमरजेंसी में गनशाट इंजरी की वजह से आया था जिसको मेरी टीम द्वारा दिनांक

11.04.2013 को परीक्षण के उपरान्त भर्ती किया गया जिसका बी.एच.टी. नम्बर 10137 है जिसका इलाज मरहम पट्टी एवं जरूरी दवा के साथ किया गया। दिनांक 14.04.2013 को स्वस्थ होने के उपरान्त उसकी अस्पताल से छूट्टी कर दी गयी और उसको दुबारा ओ.पी.डी. नम्बर 32 में दिखाने की सलाह दी गयी। मजरूब का डिस्चार्ज रिपोर्ट मेरे जूनियर डाक्टर द्वारा तैयार की गयी थी जोकि पत्रावली में कागज संख्या–121 ए छायाप्रति के रूप में मौजूद है जिसकी मैं पुष्ट करता हूॅ।

बचाव पक्ष की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि मैंने मजरूब का कोई आपरेशन नहीं किया था। मजरूब स्थिति सामान्य थी। मजरूब के घाव को साफ करने के उपरान्त उसे दवा देकर वापस भेज दिया गया था। कोई अंदरूनी चोट नहीं थी जो साधारण प्रकृति थी। कोई आंतरिक भाग क्षतिग्रस्त नहीं था। डिस्चार्ज स्लिप पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हुये है। मैंने चुटैहिल के एक्सरे रिपोर्ट नहीं देखी थी। घाव में कोई बुलट या छर्रा था कि नहीं मैं नहीं बता सकता। बी.एच.टी. मेरे सामने नहीं है न ही मैं साथ लाया हूॅ। डिस्चार्ज स्लिप मेरे जूनियर द्वारा तैयार की गयी थी। मजरूब अवनीश दिनांक 11.04.2013 से दिनांक 14.04.2013 तक मेरी टीम की देखरेख में इलाज हुआ था।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–9 द्वारा चुटैहिल अवनीश शर्मा का इलाज जी.एस.वी.एम. कालेज कानपुर नगर में किया जाना बताया गया है। यह भी कहा गया कि डिस्चार्ज स्लिप मेरे जूनियर द्वारा तैयार की गयी है। डिस्चार्ज स्लिप की छायाप्रति पत्रावली में कागज संख्या–121 ए के रूप में दाखिल है जिसके अनुसार चुटैहिल को जी.एस.वी.एम. कालेज कानपुर नगर में दिनांक 11.04.2013 को भर्ती किया गया। तदोपरान्त दिनांक 14.04.2013 को उसे डिस्चार्ज किया गया। उक्त प्रपत्र में बी.एच.टी. नम्बर 10137 का उल्लेख किया गया है। चूंकि उक्त प्रपत्र सम्बन्धित चिकित्सक व उसके द्वारा निर्देशित जूनियर चिकित्सक द्वारा तैयार किया गया है। ऐसीस्थिति में उक्त दस्तावेज पर प्रथम दृष्ट्या संदेह व्यक्त किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। उक्त प्रपत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि चुटैहिल अवनीश शर्मा को आयी हुयी चोटें गनशट से आना अंकित किया गया है। उक्त चोटें चुटैहिल के पेट में आना बताया गया है। चूंकि सम्बन्धित चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू–4 एवं अन्य साक्षीगणों के बयान से यह स्पष्ट है कि चुटैहिल अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू को आयी हुयी चोट अग्नेयास्त्र की है जो साधारण प्रकृति की है। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं उसके पुत्र विकास शर्मा द्वारा चुटैहिल अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू को आयी हुयी चोटें साधारण

प्रकृति की थी। यह अवश्य है कि उक्त चोटों से चुटैहिल अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू से मृत्यु होने की सम्भावना क्षीण थी किन्तु घटना में प्रयुक्त हुये औजार से यह निष्कर्ष निकाला उचित होगा कि चुटैहिल अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू को मृत्यु कारित करने का आशय विद्यमान था।

25. बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना में प्रयुक्त हुए तमंचे एवं कारतूस की कोई बरामदगी पुलिस द्वारा मौके से नहीं की गयी और न ही बरामदगी हेतु कोई प्रयास किया गया। ऐसीस्थिति में तमंचे से फायर करने की बात पूर्णतयाः असत्य व बनावटी है।

यह अवश्य है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं उसके पुत्र विकास शर्मा द्वारा घटना में उपयोग किये गये अस्त्र तमंचे व कारतूस को बरामद किये जाने का प्रयास नहीं किया जोकि पुलिस द्वारा की गई घोर लापरवाही का द्योतक है किन्तु इस लापरवाही की त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। पुलिस का यह दायित्व था कि वह अभियुक्तगण से घटना में उपयोग किये गये तमंचे की बरामदगी हेतु प्रयास करना चाहिए था जोकि नहीं किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही प्रतिपादित विधि व्यवस्थाएं **हेमा बनाम स्टेट 2013 (81) ए0सी0सी0 1(एस0सी0)(तीन न्यायाधीश बेंच), सी0 मुनियप्पन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2010 (6) एस0सी0जे0 822, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम हकम सिंह (2005) 7 एस0सी0सी0 408, स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य बनाम अनिल कुमार एवं अन्य ए0आई0आर0 2017 सुप्रीम कोर्ट 2716** में यह अवधारित किया गया है कि Any irregularity or deficiency in investigation by I.O. need not necessarily lead to rejection of the case of in evaluation of evidence. A defective investigation cannot be fatal to prosecution where ocular testimony is found credible and cogent इस प्रकार विवेचनात्मक त्रुटि के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

26. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी पी0 डब्लू0–1 एवं 2 हितबद्ध साक्षी हैं जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया गया साक्ष्य अभियोजन पक्ष के दबाव में है। ऐसीस्थिति में ऐसे साक्ष्य पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है।

यह अवश्य है कि साक्षी पी.डब्लू–1 अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू चुटैहिल साक्षी है तथा साक्षी पी.डब्लू–2 वादी मुकदमा सोनू घटना के तुरन्त पश्चात

घटनास्थल पर पहुंचा हुआ साक्षी है तथा चुटैहिल का सगा भाई है। चूंकि साक्षी पी0 डब्लू0–1 अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू पीड़ित है, जिसके द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन किया गया तथा शेष साक्षी पी.डब्लू–2 मौके का साक्षी है जिसके द्वारा घटना के तुरन्त पश्चात घटनास्थल पर पहुंचना बताया गया है।

इस सम्बन्ध में **रमेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2010 (68) **ए0 सी0 सी0** 219 (**एस0 सी0**) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था अवलोकनीय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि It is not the rule of law that chance witnesses cannot be believed. The reason for a chance witness being present on the spot and his testimony requires close scrutiny and if the same is otherwise found reliable, his testimony cannot be discarded merely on the ground of his being a chance witness. Evidence of chance witness requires very cautions and close scrutiny इसप्रकार बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

27. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है अपितु साक्षी पी0 डब्लू0–1 व 2 हितबद्ध साक्षी हैं। ऐसीस्थिति में इनके साक्ष्य पर विष्वास किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

यह अवश्य है कि साक्षी पी0 डब्लू0–1 एवं साक्षी पी0 डब्लू0–2 आपस में भाई हैं जो कि नैसिर्गिक एवं स्वाभाविक साक्षी है जिनके साक्ष्य पर प्रथम दृश्टया अविश्वास किये जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। साक्षी पी0 डब्लू0–5 मो० असलम मौके का साक्षी है जिसके द्वारा घटना को अपनी आंखों से देखा जाना बताया गया है। ऐसीस्थिति में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्यामबाबू बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 ए0 आई0 आर0 2012 **एस0 सी0** 3311 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि The testimony of a witness in a criminal trial cannot be discarded merely because the witness is a relative or family member of the victim of the offence. In such a case, court has to adopt a careful approach in analyzing the evidence of such witness and if the testimony of the related witness is otherwise found credible accused can be convicted on the basis of testimony of such related witness.

28. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को सम्बन्धित

पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया तथा पुलिस द्वारा उक्त कार्यवाही वादी मुकदमा एवं उसके साक्षीगणों द्वारा पुलिस के समक्ष किये गये झूंठे कथनों के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि यह मामला एकमात्र अभियुक्तगणों को नामित करके पंजीकृत कराया गया है। मामले को पंजीकृत करने के उपरान्त सम्बन्धित विवेचक द्वारा अभियुक्तगणों की ही गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किया जाता रहा।

यह उल्लिखित किया गया कि अभियुक्तगण घटना के बाद से ही वे अपने घर से गायब थे एवं अभियुक्तगण द्वारा स्वयं की गिरफ्तारी से बचने हेतु प्रयास किया जाता रहा है। सम्बन्धित विवेचक द्वारा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किया जाता रहा तदोपरान्त **घटना के लगभग डेढ़ माह बाद दिनांक 27.05.2013 को अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा एवं लगभग दो माह बाद दिनांक 17.06.2013 को अभियुक्त विकास शर्मा द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया।** अभियुक्तगण का घटना कारित करने के पश्चात लगभग डेढ़ माह तक घर से गायब होने के बाबत अभियुक्तगण का आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत सुसंगत साक्ष्य है। इसप्रकार बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

29. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे अपितु घटना वाले दिन वे अपने रिश्तेदारी में गये हुये थे। वादी मुकदमा द्वारा पुरानी रंजिश के कारण उन्हें नामित करते हुए मुकदमा लिखा दिया है।

बचाव पक्ष की ओर से उक्त कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अपितु वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगणों को ही नामित करते हुए घटना के लगभग आधे घंटे के अंतराल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है। घटनास्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति को अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी0 डब्लू0–1 अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू, पी0 डब्लू0–2 सोनू शर्मा एवं पी0 डब्लू0–5 मो0 असलम द्वारा संदेहरहित साबित किया गया है।

संदीप बनाम उ0प्र0 राज्य (2012)6 एस0सी0सी0 107 में यह अवधारित किया गया है कि Burden of proving the plea of alibi lies upon the accused. If the accused has not adequately discharged that burden, the prosecution version which was otherwise plausible has, therefore, to be believed.

Binay Kumar Singh vs State of Bihar, AIR 1997 SC 322 and **State of Haryana Vs Sher Singh, AIR 1981 SC 1021 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि** the plea of alibi of the accused in such cases need be considered only when the burden has been discharged by the prosecution satisfactorily. But once the prosecution succeeds in discharging the burden it is incumbent on the accused, who adopts the plea of advice, to prove it with absolute certainty so as to exclude the possibility of his presence at the place of occurrence. When the presence of the accused at the scene of occurrence has been established satisfactorily by the prosecution through reliable evidence, normally the court would be slow to believe any counter evidence to the effect that he was elswhere when the occurence happened. इसप्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

30. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा यह मुकदमा रंजिषन व बनावटी लिखा दिया गया है तथा पुलिस ने अपनी सुविधानुसार पुलिस प्रपत्र तैयार किये हैं किन्तु रंजिष के बावत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

चेतराम बनाम उ0प्र0 राज्य इलाहाबाद दण्ड निर्णय 1998 पेज 567 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि रंजिश एक दोधारी तलवार है जो दोनों ओर से काट सकती है। अभियोजन साक्षी अभियुक्तगण से दुश्मनी रखते हो तो वे सदा ही यह सुनिश्चित करने में हितबद्ध होते हैं कि वास्तविक अपराधियों को अवश्य ही दण्डित किया जाय। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे वास्तविक अपराधियों को छोड़ देंगे और उनके स्थान पर निर्दोष व्यक्तियों को फंसा देंगे। अतः पूर्वोक्त चर्चा एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अभिमत के प्रकाश में बचाव पक्ष द्वारा रंजिश होने के बाबत प्रस्तुत किया गया तर्क बलहीन हो जाता है।

31. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना को किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा साबित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में **Veer Singh Vs. State of U.P., (2014) 2 SCC 455 में** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि Whether conviction can be based on the evidence of a

sole witness? It has been held by the Supreme Court in the cases noted below that in a criminal trial quality of evidence and not the quantity matters. As per Sec. 134 of the Evidence Act, no particular number of witnesses is required to prove any fact. Plurality of witnesses in a criminal trial is not the legislative intent. If the testimony of a sole witness is found reliable on the touchstone of credibility, accused can be convicted on the basis of such sole testimony.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–134 में यह प्रावधानित है कि आपराधिक वाद में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षीगणों की संख्या नहीं, अपितु उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है।

32. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना कारित करने के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा हेतुक को साबित नहीं किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–1 एवं पी0 डब्लू0–2 के बयान से यह साबित है कि वादी मुकदमा के पिता सुरेश चन्द्र शर्मा को अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं उसके पुत्र विकास शर्मा द्वारा दिनांक 08.12.2012 को मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुंचायी गयी थी। दौरान इलाज सुरेश चन्द्र शर्मा की मृत्यु हो गयी थी। उक्त मामले में अभियुक्तगण की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकृत हो गयी थी। तदोपरान्त अभियुक्तगण जेल से रिहा होकर घर वापस आ गये थे। वापस आने के उपरान्त उनके विरूद्ध दर्ज हुये मामले में समझौता करने के आशय से चुटैहिल से वार्ता की गयी। चुटैहिल द्वारा समझौता करने से इन्कार करने पर चुटैहिल को अकेला पाकर उक्त घटना कारित की गयी। इसप्रकार प्रश्नगत घटना का हेतुक पूर्णतया साबित है। इसप्रकार बचाव पक्ष के तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

33. **रेक्स बनाम फ्रांसिस केसेडी (1886) बम्बई एच.सी.(क्रिमिनल) 17(21)** के वाद में धारा 307 के संदर्भ में अपना अभिमत व्यक्त करते हुए माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अभिकथन किया गया कि धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत हत्या के प्रयत्न के अपराध में किया हुआ कृत्य ऐसा होना आवश्यक है जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाने की सम्भाव्यता हो। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के भाई चुटैहिल अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू पर तमंचे से 2 बार फायर करना अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं उसके पुत्र विकास शर्मा के विरूद्ध

धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पूर्णतया साबित है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियोजन कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होता है। **अतः अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा आरोप अंतर्गत धारा 307 भातरीय दण्ड संहिता में दोषसिद्व किये जाने योग्य है।**

34. जहां तक आरोप अन्तर्गत धारा–504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। **ऐसीस्थिति में अभियुक्तगणों के विरूद्व उक्त अपराध में विरचित आरोप पूर्णतया साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा को अपराध अन्तर्गत धारा–504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।**

35. जहां तक आरोप अन्तर्गत धारा–147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से यह विदित होता है कि वादी मुकदमा सोनू द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर के आधार पर 4 व्यक्तियों को नामित किया गया तथा एक अज्ञात व्यक्ति का उल्लेख किया गया है किन्तु दौरान विवेचना उक्त अज्ञात व्यक्ति के विषय में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया है जिसके कारण सम्बन्धित विवेचक द्वारा मात्र 4 अभियुक्तों के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया गया। ऐसीस्थिति में अभियुक्तगणों श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा के विरूद्व उक्त अपराध अन्तर्गत धारा–147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता में विरचित आरोप पूर्णतया साबित नहीं है। **अतः अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा को अपराध अन्तर्गत धारा–147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।**

36. जहां तक **सत्र परीक्षण वाद संख्या–219/2013** में आरोप विरूद्व अभियुक्तगण बबलू शर्मा एवं अनिल शर्मा का प्रश्न है कि इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह विदित होता है कि उक्त अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य नामित किया गया है किन्तु उक्त मामले में अभियुक्तगण बबलू शर्मा एवं अनिल शर्मा की संलिप्तता को साक्ष्य से साबित नहीं हो पायी है। अतः **अभियुक्तगण बबलू शर्मा एवं अनिल शर्मा को अपराध अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।**

37. जहां तक सत्र परीक्षण वाद संख्या–269/2013 राज्य प्रति अनिल शर्मा में आरोप विरूद्व अभियुक्त अनिल शर्मा का प्रश्न है कि इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष

की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह विदित होता है कि उक्त अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य नामित किया गया है किन्तु उक्त मामले में अभियुक्त अनिल शर्मा की संलिप्तता को साक्ष्य से साबित नहीं हो पाया है। अतः **अभियुक्त अनिल शर्मा को अपराध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।**

आदेश

सत्र परीक्षण वाद संख्या–219/2013 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 राज्य बनाम **श्रीनिवास शर्मा आदि** थाना छिबरामऊ व जिला कन्नौज के मामले में अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** को उनके विरूद्ध विरचित आरोप अंतर्गत **धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता** में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

सत्र परीक्षण वाद संख्या–219/2013 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 राज्य बनाम **श्रीनिवास शर्मा आदि** थाना छिबरामऊ व जिला कन्नौज के मामले में अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** को उनके विरूद्ध विरचित आरोप अंतर्गत **धारा–147, 148, 149, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** में **दोषमुक्त** किया जाता है।

सत्र परीक्षण वाद संख्या–219/2013 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 राज्य बनाम **श्रीनिवास शर्मा आदि** थाना छिबरामऊ व जिला कन्नौज के मामले में अभियुक्तगण **बबलू शर्मा एवं अनिल शर्मा** को उनके विरूद्ध विरचित आरोप अंतर्गत **धारा–147, 148, 149, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** में **दोषमुक्त** किया जाता है।

सत्र परीक्षण वाद संख्या–269/2013 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–206/2013 राज्य बनाम **अनिल शर्मा** थाना छिबरामऊ व जिला कन्नौज के मामले में अभियुक्त **अनिल शर्मा** को उसके विरूद्ध विरचित आरोप अंतर्गत **धारा–3/25 आयुध अधिनियम** में **दोषमुक्त** किया जाता है।

पत्रावली वास्ते लन्च बाद अभियुक्तगण श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा को सजा के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पेश हो।

दिनाँक–14.07.2026

(हरिप्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विषेश न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कक्ष संख्या–2, जनपद कन्नौज।
J.O.CODE–UP6489

दिनांक 14.07.2026

पत्रावली लंचोपरान्त पुनः सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण गरीब, मजदूर पेशा व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है तथा उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाये।

उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री कमलेश मौर्या द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पूर्ण रूप से सिद्व हो चुका है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर अपराध है। ऐसीस्थिति में समाज में कठोर संदेश देने के लिये अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है।

मैंने उभयपक्षों को सुना तथा प्रस्तुत किये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया। परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** द्वारा वादी मुकदमा सोनू शर्मा के भाई अवनीश शर्मा उर्फ टिन्कू को तमंचे से चोट पहुंचायी है। ऐसीस्थिति में दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है।

पत्रावली में अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा सोनू शर्मा तथा अभियुक्तगण के बीच पूर्व में आपराधिक रंजिश रही है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता सुरेश चन्द्र शर्मा को इस घटना से लगभग चार माह पूर्व मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचायी गयी। दौरान इलाज वादी मुकदमा के पिता सुरेशचन्द्र शर्मा की मृत्यु हो गयी। उसी प्रकरण में अभियुक्तगण जमानत पर माननीय उच्च न्यायालय से छूटकर आये थे तथा अवनीश शर्मा को मुकदमा वापस लेने की धमकी देते हुये तमंचे से चोट पहुंचायी गयी। प्रस्तुत प्रकरण लगभग 13 वर्षों से विचाराधीन है। इस अवधि में अभियुक्तगण द्वारा वाद की

कार्यवाही में सहयोग किया जाना कहा गया है। अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा की आयु लगभग 60 वर्ष है तथा अभियुक्त विकास शर्मा, अभियुक्त श्रीनिवास शर्मा का पुत्र है। दोनों एक ही परिवार के है तथा पिता पुत्र है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में बचावपक्ष द्वारा की गयी याचना पर विचार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

शैलेन्द्र जसवन्त भाई बनाम स्टेट आफ गुजरात (2006) 2 एससीसी 359 व पंजाब राज्य बनाम प्रेम सागर व अन्य (2008) 3 एससीसी क्रिमिनल 183 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि दण्ड अपराध की प्रकृति व गम्भीरता के अनुसार दिया जाना चाहिए। दण्ड के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सहानुभूति एवं अपर्याप्त दण्ड होना न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक है तथा जन सामान्य पर इसका विपरीत प्रभाव पडेगा। अतः प्रत्येक न्यायालय का यह दायित्व है कि अपराध की प्रकृति व गम्भीरता के अनुसार दण्डादेश पारित करते हुए अपराधी को दण्डित करें।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मैं, अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** को निम्न प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ ताकि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण वाद सं0–219/2013 बावत मुकदमा अपराध संख्या–202/2013 राज्य बनाम **श्रीनिवास शर्मा आदि** थाना छिबरामऊ व जनपद कन्नौज के अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** को अपराध अंतर्गत **धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता** में प्रत्येक अभियुक्त को **दो–दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000–20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है**। अर्थदण्ड की अदायगी न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण **श्रीनिवास शर्मा एवं विकास शर्मा** का सजायाबी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार कन्नौज को भेजा जावे। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि को समायोजित किया जाये।

उपरोक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

उपरोक्त अर्थदण्ड में से **मु0–35,000/–रूपये मजरूब अवनीश कुमार शर्मा उर्फ टिन्कू पुत्र स्व० सुरेश चन्द्र शर्मा, निवासी मोहल्ला गनेश चौधरी लकड़ी मण्डी छिबरामऊ जनपद कन्नौज** द्वारा याचित किये जाने पर धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रदत्त किये जाये।

निर्णय की एक प्रति धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जिला मजिस्ट्रेट, जनपद कन्नौज को प्रेषित की जाये।

निर्णय एक प्रति सत्र परीक्षण वाद संख्या–269/2013 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–206/2013 राज्य प्रति अनिल शर्मा में रखी जाये।

दिनांक 14.07.2026 (हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कक्ष संख्या–2, कन्नौज।
J.O.CODE–UP6489

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक 14.07.2026 (हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कक्ष संख्या–2, कन्नौज।
J.O.CODE–UP6489